

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/प्रशि०स्था०-09/2022 श्रं०सं०...../ श्री मनीष शंकर
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय, बिहार, पटना को तत्काल मिशन निदेशक, बिहार
कौशल विकास मिशन, पटना का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से अगले आदेश तक के लिए
दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

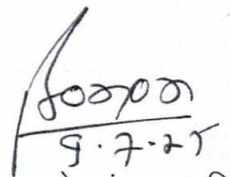
ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/प्रशि०स्था०-09/2022 श्रं०सं०43...../पटना-01, दिनांक-09/7/25

प्रतिलिपि : मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /
सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी० डी० सहित)
बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार,
पटना/कोषगार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल
विकास मिशन, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (दोनों
पक्ष), बिहार, पटना/ निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार,
पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागीय
पदाधिकारी/ श्री मनीष शंकर, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय, बिहार, पटना/
आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव